



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102024-257977
CG-DL-E-17102024-257977

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4185]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 16, 2024/आश्विन 24, 1946

No. 4185]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2024/ASVINA 24, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2024

सं.35 / 2024-25

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-II (निर्यात नीति) के अध्याय 30 के तहत कफ सिरप की निर्यात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का. आ. 4549(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या 06/2023 दिनांक 22.05.2023 के क्रम में, केंद्र सरकार आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-II (निर्यात नीति) के अध्याय 30 के अंतर्गत एचएसएन 3004 के लिए निर्यात नीतिगत शर्त को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करती है:

नीतिगत शर्त संख्या	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
1	<p>कफ सिरप को निर्यात करने की अनुमति निर्यात नमूने के परीक्षण और निम्नलिखित में से किसी भी प्रयोगशाला द्वारा जारी विश्लेषण प्रमाणपत्र (सीओए) प्रस्तुत करने के अधीन होगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> • इंडियन फार्माकोपिया कमी” इन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश • सीडीएल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल • सीडीटीएल, चेन्नई, तमिलनाडु • सीडीटीएल, मुंबई, महाराष्ट्र • सीडीटीएल, हैदराबाद, तेलंगाना • आरडीटीएल, चंडीगढ़ • आरडीटीएल, गुवाहाटी, असम • एनएबीएल मान्यता प्राप्त कोई भी राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला • बी फार्मो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे, सी 2 हटकेश उद्योग नगर, मीरा भायंदर रोड, मीरा रोड (पूर्व), ठाणे-401107, महाराष्ट्र। • ओएसिस टेस्ट हाउस, 24-ए, बी सरदार पटेल, औद्योगिक एस्टेट, नारोल, अहमदाबाद-382407, गुजरात। • श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च (श्रीराम साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन की एक इकाई), 19-यूनिवर्सिटी रोड, नई दिल्ली-110007 	<p>(i) कफ सिरप को निर्यात करने की अनुमति निर्यात नमूने के परीक्षण और निम्नलिखित में से किसी भी प्रयोगशाला द्वारा जारी किए गए विश्लेषण प्रमाणपत्र (सीओए) के प्रस्तुत करने के अधीन होगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> • इंडियन फार्माकोपिया कमी” इन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश • सीडीएल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल • सीडीटीएल, चेन्नई, तमिलनाडु • सीडीटीएल, मुंबई, महाराष्ट्र • सीडीटीएल, हैदराबाद, तेलंगाना • आरडीटीएल, चंडीगढ़ • आरडीटीएल, गुवाहाटी, असम • एनएबीएल मान्यता प्राप्त कोई भी राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला • बी फार्मो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे, सी 2 हटकेश उद्योग नगर, मीरा भायंदर रोड, मीरा रोड (पूर्व), ठाणे-401107, महाराष्ट्र। • ओएसिस टेस्ट हाउस, 24-ए, बी सरदार पटेल, औद्योगिक एस्टेट, नारोल, अहमदाबाद-382407, गुजरात। • श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च (श्रीराम साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन की एक इकाई), 19-यूनिवर्सिटी रोड, नई दिल्ली-110007 <p>(ii) यदि निर्माता कफ सिरप को यूएसए, यूके, कनाडा, ईयू, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कोरिया गणराज्य और स्विट्जरलैंड को निर्यात कर रहे हैं, तो उल्लिखित दे”ों के लिए नियामक एजेंसियों द्वारा कफ सिरप के विनिर्माण एवं निर्यात में लगे संयंत्रों/खण्डों के लिए दी गई मंजूरी के मद्देनजर, ऊपर (i) में उल्लिखित प्रयोगशालाओं से परीक्षण की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है।</p> <p>(iii) इसके अलावा, यदि कफ सिरप किसी उत्पाद के लिए (ii) में उल्लिखित देशों के लिए नियामक एजेंसियों द्वारा अनुमोदित संयंत्र/खंड में विनिर्मित किया जाता है, तो</p>

		ऐसे कफ सिरप को ऊपर (i) में अनिवार्य परीक्षण के बिना किसी भी देश में निर्यात करने की अनुमति होगी।
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------

इस अधिसूचना का प्रभाव: एचएसएन 3004 के तहत 'कफ सिरप' के निर्यात नमूने के अनिवार्य परीक्षण से आव" यक जीएमपी मानदण्डों/मानकों के अनुसार ऊपर यथा वर्णित स्थितियों में छूट दी गई हैं

संतोष कुमार सारंगी महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव
(फा. सं. 01/91/180/21/एएम20/ईसी/भाग-VII/ई-21207 से जारी)

MINISTRY OF COMMERCE and INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
Notification

New Delhi, the 1st October, 2024

No. 35/2024-25

Subject: Amendment in Export Policy condition of Cough Syrup under Chapter 30 of Schedule-II (Export Policy) of ITC (HS) 2022-reg.

S.O. 4549(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, and in continuation of the Notification No. 06/2023 dated 22.05.2023, the Central Government amends the Export Policy condition for HSN 3004 under Chapter 30, Schedule-II (Export Policy) of ITC(HS) 2022, with immediate effect as under:

Policy Condition No.	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
1	Cough Syrup shall be permitted to be exported subject to the export sample being tested and production of Certificate of Analysis (CoA) issued by any of the following laboratories: <ul style="list-style-type: none"> • Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, Uttar Pradesh • CDL, Kolkata, West Bengal • CDTL, Chennai, Tamil Nadu 	(i) Cough Syrup shall be permitted to be exported subject to the export sample being tested and production of Certificate of Analysis (CoA) issued by any of the following laboratories: <ul style="list-style-type: none"> • Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, Uttar Pradesh • CDL, Kolkata, West Bengal • CDTL, Chennai, Tamil Nadu • CDTL, Mumbai, Maharashtra • CDTL, Hyderabad, Telangana

	<ul style="list-style-type: none"> • CDTL, Mumbai, Maharashtra • CDTL, Hyderabad, Telangana • RDTL, Chandigarh • RDTL, Guwahati, Assam • Any NABL accredited State Drugs Testing Laboratory • Bee Pharmo Labs Pvt. Ltd Thane, C 2 Hatkesh Udyog Nagar, Mira Bhayander Road, Mira Road (East), thane-401107, Maharastra. • Oasis Test House, 24-A, B Sardar Patel, industrial Estate, Narol, Ahmedabad-382407, Gujarat. • Shriram Institute for Industrial Research (A unit of Shriram Scientific and Industrial Research Foundation), 19-University Road, New Delhi-110007 	<ul style="list-style-type: none"> • RDTL, Chandigarh • RDTL, Guwahati, Assam • Any NABL accredited State Drugs Testing Laboratory • Bee Pharmo Labs Pvt. Ltd Thane, C 2 Hatkesh Udyog Nagar, Mira Bhayander Road, Mira Road (East), thane-401107, Maharastra. • Oasis Test House, 24-A, B Sardar Patel, industrial Estate, Narol, Ahmedabad-382407, Gujarat. • Shriram Institute for Industrial Research (A unit of Shriram Scientific and Industrial Research Foundation), 19-University Road, New Delhi-110007 <p>(ii) In case, the manufacturers are exporting the Cough Syrup to USA, UK, Canada, EU, Japan, Australia, Singapore, Republic of Korea and Switzerland, the requirement of testing from the laboratories mentioned at (i) above may be waived off, in view of approval granted by these countries' regulatory agencies for plants/section engaged in manufacturing and export of Cough Syrup.</p> <p>(iii) Further, if Cough Syrup is manufactured in a plant/section approved by the regulatory agencies for above mentioned countries at (ii) for any product, such Cough Syrup shall be permitted to be exported to any country without testing as mandated at (i) above.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effect of this Notification: The mandatory testing of the export sample of 'Cough Syrup' under HSN 3004 is exempted in certain situations as mentioned above in accordance with the required GMP benchmarks/standards.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade, Ex-Officio Addl. Secy.

(F. No. 01/91/180/21/AM20/EC/Part-VII/e- 21207)